भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2265

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

बोडोलैंड में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2265. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान असम के बोडोलैंड क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में शामिल किए गए घरों की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इन लाभार्थियों को वितरित किए गए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान में टीपीडीएस से लाभान्वित नहीं हो रहे उन पात्र घरों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और गत वर्ष के दौरान जोड़े गए नए लाभार्थियों की संख्या क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान बोडोलैंड क्षेत्र से टीपीडीएस पर प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत असम राज्य में 251.90 लाख व्यक्तियों के लक्षित कवरेज की तुलना में, वर्तमान में 247.98 लाख लाभार्थी कवर किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जिलावार आकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख): अधिनियम के अंतर्गत, जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार जो सबसे गरीब हैं, कानूनी रूप से प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं, वहीं प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम नि:शुल्क पाने के पात्र हैं। अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पात्रता अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद से सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू है।

...2/-

अधिनियम के तहत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या उनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश, निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो।

(ग): केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के अंतर्गत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने के लिए परामर्शिका जारी की है। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस का परिशोधन करते हैं ताकि फर्जी राशन कार्ड हटा दिए जाएं और सही लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अयोग्य लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है और लाभार्थियों का डाटाबेस गतिशील प्रकृति का है।

(घ): टीपीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर पीडीएस के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास होती हैं। इसलिए, जब भी सरकार को व्यक्तियों और संगठनों के साथ-साथ प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब उन्हें जांच और उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा जाता है।

वर्ष 2020 से 2024 तक व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों आदि के माध्यम से असम राज्य में प्राप्त शिकायतों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं	**वर्ष**	**शिकायतों की संख्या**
1.	2020	39
2.	2021	8
3.	2022	13
4.	2023	48
5.	2024	178
	कुल	286

केन्द्र सरकार द्वारा शिकायतों का जिलावार आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

*****